

न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम:-

मा० मुख्यमंत्री घोषणा सं० 233/2012 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र रायपुर के अन्तर्गत सौड़ा द्वारा से चमेली चौक तक मार्ग के नव निर्माण कार्य हेतु 3.0100 हे० वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना के निर्माण हेतु प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या न्यूनतम है व भारत सरकार से परियोजना के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त आवश्यक न्यूनतम वृक्षों का ही पातन किया जायेगा।

अधिशारी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०,
ऋषिकेश

प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग
मसूरी

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
ऋषिकेश

उप प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग
देहरादून

वन क्षेत्राधिकारी
रायपुर रेंज
मसूरी वन प्रभाग

प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी